2010 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 16 का संशोधन।

1973 का 4

2. हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (2) में, ''या जहां अनुज्ञापत्र के बिना या अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में यान चलाया जाता है या निजी यान को परिवहन यान के रूप में भाड़े पर या प्रतिफल के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई भी अधिकारी'' शब्दों, चिन्ह, कोष्ठक और अंक के स्थान पर ''वहां उपधारा (1) के अधीन, लिखित में आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्द, कोष्ठक, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (2) ऐसे मोटरयानों को निरूद्ध करने का उपबन्ध करती है जो देय कर को संदत्त किए बिना चलाए जा रहे हैं या जहां अनुज्ञापत्र के बिना या अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में यान चलाया जाता है या निजी यान को परिवहन यान के रूप में भाड़े पर या प्रतिफल के लिए उपयोग में लाया जाता है । माननीय उच्च न्यायालय ने, सी0डब्ल्यू0 पी0 नम्बर 418 / 2007 नामतः मनमोहन बेदी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार में, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) की संवैधानिक विधिमान्यता पर विचार करते समय, उपधारा (2) के कुछ भाग को, जिसे राज्य की वैधानिक शक्तियों से परे और केन्द्रीय अधिनियम से असंगत समझा गया, निकाल दिया है । अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के उपबन्धों को, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192–क के अनुरूप बनाने के आशय से, धारा 16 को तद्नुसार संशोधित करना आवश्यक समझा गया है । इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए है ।

महेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

धर्मशाला :
तारीखः ————2010

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष को राजस्व की कुछ हानि होगी, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

————शून्य————

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(परिवहन विभाग नस्ति संख्याः टी.पी.टी.–ई (3) 12 / 2007)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2010 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2010

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No.4 of 1973).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 16.

2. In section 16 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, in sub-section (2), for the words, signs and figure “or where the vehicle is plied without a permit or in contravention of the conditions of the permit or a personal vehicle is used as a transport vehicle for hire or reward, any officer authorized under sub-section (1), may", the words, signs and figure “any officer authorized under sub-section (1), may, by order in writing", shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, provides for seizure of such motor vehicles which are plied without payment of tax due or where the vehicle is plied without a permit or in contravention of the conditions of the permits or a personal vehicle is used as a transport vehicle for hire or reward. While considering the constitutional validity of sub-section (2) of the said Act, in CWP No. 418/2007 titled as Manmohan Bedi Vs State of Himachal Pradesh. The Hon'ble High Court struck down some portion of sub-section (2) which is considered beyond the legislative powers of the State and inconsistent with the Central Act. Now, in order to make the provision of sub-section (2) of section 16 of the Act ibid in consonance with section 192-A of the Motor Vehicles Act, 1988, it is considered essential to amend section 16 accordingly. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :
The _____, 2010

FINANCIAL MEMORANDUM

Provision of the Bill if enacted, will result some loss of revenue to the State Exchequer which cannot be quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

(Transport Department file NO: TPT-E(3)12/2007).

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.